

क.प्र.नं(प्रशा.३)

विषय:—याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी./860/2016 द्वारा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव से.नि.  
वनक्षेत्रपाल विरुद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव सेवा निवृत्त वनक्षेत्रपाल द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विरुद्ध याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी./860/2016 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की है। जिसकी प्रति इस कार्यालय में दिनांक 05.03.2015 को प्राप्त हुई है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है।

अतः शासन पक्ष में समर्थन हेतु उप वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल अनूपपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में दिनांक 08.03.2016 की तिथि नियत है।

संलग्न:— याचिका मूलतः 01 से 80 तक

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा- II)  
मध्यप्रदेश भोपाल  
5/3

पदेन सचिव (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जो नीचे घ्वज "अ" पर व्यवस्थित है। पक्ष समर्थन का आदेश जारी किया जाना है। कृपया पक्ष समर्थन आदेश जारी करने का कष्ट करें।

विधि विभाग

पदेन सचिव (आई.डी.सी.)  
मध्यप्रदेश भोपाल.

22/04/2016  
05/03/16  
08/03/16  
5/3/16  
23

7/31

का. प्र. नं. 10/3/16

नि. वि.  
10-3-16

विषय:—याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी./860/2016 द्वारा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव से.नि.  
वनक्षेत्रपाल विरुद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

---

## मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 082


भोपाल, दिनांक : 08/3/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उपरोक्त को सुनपुत्र को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक WP/260/2016 द्वारा श्री अशोक कुमार शिवरात्रि विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-  
 (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।  
 (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।  
 (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।  
 (घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेंगे।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जेहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

  
(अमित के. श्रीवास्तव)  
सचिव


वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल, दिनांक : 08/3/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 082

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय ..... जबलपुर ..... म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
3. जिलाध्यक्ष ..... जबलपुर ..... जिला ..... जबलपुर ..... म.प्र.।
4. उपवन संरक्षक अधिकारी ..... जबलपुर ..... प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. वन संरक्षक अधिकारी ..... जबलपुर ..... की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक ..... जबलपुर ..... वृत्त ..... जबलपुर ..... म.प्र.।
7. उपवन संरक्षक ..... (उपस्थिति-2) म.प्र. भोपाल की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/ 02/23 दिनांक 05/03/2016 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय ..... जबलपुर ..... म0प्र0।
10. शासकीय अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय ..... जबलपुर ..... म0प्र0।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/नोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।

  
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



TIME LIMIT-8/3/16.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर (म०प्र०)

E-mail : dfoanuppur@mpforest.org ph. No. (07659) 222038

क्रमांक/स्था./कोर्ट/2016/ 306  
प्रति,

अनूपपुर, दिनांक/29/2/2016

✓ सचिव

वनोपज अंतर्विभागीय समिति

एवं पदेन सचिव

म०प्र० शासन वन विभाग भोपाल (म०प्र०)।

विषय :- न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/WP/860/2016 श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

संदर्भ :- डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र क्रमांक Process ID 12591/2016 Jabalpur दिनांक 25.01.2016.

==00o==

विषयांकित के संबंध में निवेदन है कि डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र Process ID 12591/2016 दिनांक 25.01.2016 से प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक/WP/860/2016 की (छायाप्रति संलग्न है), में श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध म०प्र० शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रत्यावर्तन तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु उप वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 08.03.2016 की तिथि नियत है, अतः तदनुसार उप वनमण्डल अधिकारी अनूपपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करें।

संलग्न :- डिप्टी रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर

का पत्र Process ID 12591/2016 Jabalpur

दिनांक 25.01.2016 के साथ संलग्न याचिका की छायाप्रति।

8  
वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल अनूपपुर (म०प्र०)

पृ०क्रमांक/स्था./2016/  
प्रतिलिपि :-

अनूपपुर, दिनांक/

- 1- मुख्य वन संरक्षक शहडोल वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ। प्रकरण WP/860/2016 में उप वनमण्डल अधिकारी अनूपपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने बावत् आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।  
2- उप वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित। श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध म०प्र० शासन व अन्य प्रकरण क्रमांक/WP/860/2016 में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने हेतु आपका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। शासकीय महा अधिवक्ता जबलपुर से सम्पर्क कर जवाबदावा तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्न :- याचिका क्रमांक/WP/860/2016 की छायाप्रति।

रही  
वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल अनूपपुर (म०प्र०)

Would like to send proposal  
for OIC today-only, please.

APCCF (प्रशासक)



**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT  
JABALPUR**

Process Id: 12591/2016

WP/860/2016

From

Kishore Pithawe  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Jabalpur

ON MERIT AND I.R.  
Fixed for 08-03-2016  
WP-DA-2  
Respondent No. 3

To,

Divisional Forest Officer And Managing  
Dierect Forest Division,  
District- Anuppur (MADHYA PRADESH)

Jabalpur 25-01-2016

रजिस्ट्रार,  
Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 860/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Ashok Kumar Shrivastava** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/860/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **08-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.




(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

By Mand C.O. db, 19/01/16  
Copies

Your faithfully

  
DEPUTY REGISTRAR

N  
DA-2  
N. Kulkarni

APCCF (प्रशा. ११)